न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 28 / 2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री जॉनी बाशानी पुत्र श्री भीमनदास बाशानी (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स चन्दूमल गागूमल, मदारगेट, अजमेर पिन 305001
   निवासी – प्लॉट नम्बर 5–6, सिन्धुबाड़ी –ए, आशागंज, अजमेर

2. मैसर्स चन्दूमल गागूमल,
   मदारगेट, अजमेर पिन 305001

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51, 31(1), 63 के तहत

उपस्थित : स्वयं श्री जॉनी बाशानी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 11.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पेठा का बिना अनुज्ञापत्र विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) व 31(1) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 तथा 63 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र आवंटन नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.02.2025 को 02:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार सिन्धी, मैसर्स चन्दूमल गागूमल, मदारगेट, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत श्री जॉनी बाशानी मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से वर्ष 2025 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर विक्रेता ने अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया परन्तु यह अनुज्ञा पत्र दिनांक 07.09.2023 को ही एक्सपायर हो चुका हैं तथा वर्तमान में बिना अनुज्ञापत्र के ही व्यापार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक निर्माण इकाई में 500–500 ग्राम के लगभग 100 बॉक्स में लगभग 50 किलोग्राम पेठा आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त पेठा कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम पेठा 240/– रूपयें श्री जॉनी बाशानी को नगद देकर गवाह आनन्द कुमार के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री जॉनी बाशानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पेठा को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 500 ग्राम) में भरकर प्रत्येक बोतल में 20–20 बून्द फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4708 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/1471 दिनांक 07.03..2025 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/95/एक्ट/2025/115 दिंनाक 19.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पेठा अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 06.06.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 06.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री जॉनी बाशानी व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 11.07.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 11.07.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री जॉनी बाशानी ने स्वयं प्रस्तुत होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। अपने लिखित प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण ने मुख्य रूप से यह अंकित किया कि

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

उनके द्वारा पेठा विक्रय किया जाता है अर्थात वे इसके विक्रेता ही है, वे इसके निर्माता नहीं है। जानकारी के अभाव में उक्त पेठा का सेम्पल अवमानक आया है, भविष्य में वे निर्माता से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही पेठा को क्रय करेंगे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पेठा अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पेठा अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अवधि पार (एक्सपायर) अनुज्ञापत्र के द्वारा व्यापार किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री जॉनी बासानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) व 31(1)के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं बिना वैद्य अनुज्ञापत्र, खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 तथा 63 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें एवं खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र का तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण करायेंगे उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री जॉनी बाशानी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं 31(1) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूम उक्त अधिनियम की धारा 51 व 63 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री जॉनी बाशानी पर रु. 25,000/– **(अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 11.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2025 /   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर

4. श्री जॉनी बाशानी पुत्र श्री भीमनदास बाशानी (विक्रेता एवं मालिक),मैसर्स चन्दूमल गागूमल, मदारगेट, अजमेर पिन 305001
निवासी – प्लॉट नम्बर 5–6, सिन्धुबाडी –ए, आशागंज, अजमे

5. मैसर्स चन्दूमल गागूमल, मदारगेट, अजमेर पिन 305001

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर